

०१.

संख्या ३३ / १-१०-२०११-३३(१०२) / २०११

उम्रका

के०के० सिन्हा,  
प्रभुत्ता सचिव एवं राहत आयुक्त  
उत्तर प्रदेश शासन।

(१)

सेवा में

जिलाधिकारी,  
बहराइच।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक ०५ मई, २०११

विषय वित्तीय वर्ष २०११-१२ में दैवीय आपदा मद में धनावटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-१२४०/आपदा-तेरह-धनावटन/११, दिनांक २९ अप्रैल २०११ के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०११-१२ में दैवीय आपदा मद में तत्काल अहंतुक सहायता वितरण हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० ५०,००,०००/- (रूपये पचास लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०११-१२ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीषक "२२४५-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-आपदा राहत निधि-८००-अन्य व्यय-०३-आपदा राहत निधि से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

३. इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं-अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बाढ़ फटने, हिम स्खलन, चकवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आकरण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं-सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

४. उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश दिनांक ३१ जुलाई, २००७ के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अहं मानकों मद्दों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कहाँ-मद्दों में राहत अनुमत्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। सभी धनराशि का वितरण एकाउन्ट पैरी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

५. वर्ष २०११-१२ में दैवीय आपदा मद में वितरण ३१ मार्च, २०१२ तक कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी हारा विलीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

६. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वित्तीय वर्ष २०११-१२ में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निवहन नहीं किया जायेगा।

7. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदबार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693 / 1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही देनिक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवाटि धनराशि में से यदि बचते सभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

मवदीय

(के०क० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या 1375/1-10-2011-33(102)/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

- 1— महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2— मण्डलायुक्त देवीपाटन।
- 3— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5— वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
- 6— वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5।
- 7— राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।
- 8— गाँड़ फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव